राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 2 मार्च, 1995

क्रमांक 420-ज-2-95/2878—श्री माना राम, पुत्र श्री खुबी राम, निवासी गांव सोरड़ा जदोद, तहसील लोहारू, जिला भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 149-ज-I-76/6704, दिनांक 3 मार्च, 1976 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री माना राम की दिनांक 2 जून, 1992 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री माना राम की विधवा श्रीमती फुला देवी के नाम खरीफ, 1992 से 300 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

क्रमांक 440-ज-II-95/2882.—श्री चन्दगी राम, पुत्र श्री कुरडा राम, निवासी गांव साल्हावास, तहसील झज्जर, जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक [illegible] ज-II-78/[illegible], दिनांक 8 मई, 1978 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री चन्दगी राम की दिनांक 8 जून, 1990 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री चन्दगी राम की विधवा श्रीमती श्रवण के नाम खरीफ, 1990 से खरीफ, 1992 तक 300 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

दिनांक 6 मार्च 1995

क्रमांक 439-ज-2-95/2950.—श्री प्रभु दयाल, पुत्र श्री मेहर चन्द, निवासी गांव मेहरा पाटोदा, तहसील झज्जर, जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1877-ज-I-71/5787, दिनांक 14 फरवरी, 1977 द्वारा 150 रुपए वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपए वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री प्रभु दयाल की दिनांक 7 सितम्बर, 1989 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री प्रभु दयाल की विधवा श्रीमती कलावती के नाम रबी, 1989 से खरीफ, 1993 तक 300 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते है ।